रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 67] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 3, 1971/चैत्र 13, 1893

No. 67] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 3, 1971/CHAITRA 13, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April 1971

G.S.R. 495.—The following Proclamation by the President is published for general information :—

PROCLAMATION

In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 356 of the Constitution of India, I, V. V. Giri, President of India, hereby revoke the Proclamation made by me, under the said article on the 23rd March, 1971, in relation to the State of Orissa.

V. V. GIRI,
President.

NEW DELHI,
The 3rd April, 1971.

[No. F.17/3/ORS/71-Poll(K).]

GOVIND NARAIN, Secy.

NEW DELHI,
The 3rd April, 1971.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

सा० का० नि० 495.—राष्ट्रपति की निम्नलिखित उद्घोषणा साधारण जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है ।

उद्घोषणा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, व० वे० गिरि, भारत का राष्ट्रपति, उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में 23 मार्च, 1971 को उक्त अनुच्छेद के अधीन अपने द्वारा की गई उद्घोषणा को एतद्द्वारा प्रतिसंहृत करता हूं ।

नई दिल्ली,
3 अप्रैल, 1971

व० वे० गिरि,
राष्ट्रपति

[संख्या 17/3/उड़ीसा/71-पॉल (के)]

नई दिल्ली
3 अप्रैल, 1971

गोविन्द नारायण, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971